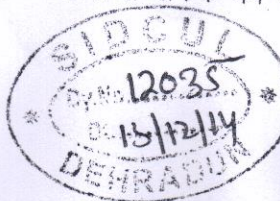


उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
संख्या: 791/VII-1/40-सिडकुल/2014
देहरादून : दिनांक: 11 दिसम्बर, 2014

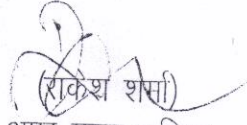
कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 103/VII-1/46-सिडकुल/2013, दिनांक 17 जनवरी, 2014, तथा तदसंबंधी स्पष्टीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या 275/VII-1/46-सिडकुल/2013, दिनांक 11 जून, 2014, जिसमें भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न टैक्सटाईल उद्योग प्रोत्साहन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में टैक्सटाईल उपक्रमों को आकर्षित एवं प्रोत्साहन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने के लिए टैक्सटाईल पार्क की स्थापना हेतु टैक्सटाईल उद्योगों को कतिपय छूट/रियायतें प्रदान की गई थी, को अवकमित/संशोधित करते हुए राज्य में टैक्सटाईल नीति को अन्य राज्यों की सफल नीति के समकक्ष बनाये जाने एवं प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने हेतु निम्नवत् नीति प्रख्यापित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. इस नीति का नाम "मेगा टैक्सटाईल पार्क पॉलिसी 2014" होगा।
2. इस नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा चिन्हित टैक्सटाईल पार्क आच्छादित होंगे।
3. टैक्सटाईल पार्क में ऐसे उद्यमियों को वरियता दी जायेगी जिनके उद्यम पूर्व में ही उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थापित हैं।
4. उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत इच्छुक उद्यमियों को भूमि का आवंटन सिडकुल द्वारा वर्तमान Single Window Policy के अन्तर्गत सिडकुल की समय समय पर निर्धारित पद्धति के आधार पर सिडकुल के निर्धारित मूल्य के आधार पर दिया जायेगा।
5. ₹ 75.00 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश की नई परियोजनायें मेगा टैक्सटाईल पार्क योजना कहलायेंगी। इस नीति के तहत नयी योजनायें एवं विद्यमान टैक्सटाईल उद्योग विस्तारीकरण के तहत ₹ 75.00 करोड़ से अधिक का पूँजी निवेश करने वाली इकाईयाँ भी आच्छादित रहेंगी।
6. इस नीति के अन्तर्गत मेगा टैक्सटाईल पार्क योजनाओं के अन्तर्गत भूमि आवंटन में सिडकुल की वर्तमान प्रचलित दरों में 50 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जायेगी।
7. इस नीति के अन्तर्गत सिडकुल द्वारा आवंटित भूमि के मूल्य (छूट के उपरान्त) का 20 प्रतिशत आवंटन पर तथा शेष 7 वर्ष की समान किस्तों पर निर्धारित ब्याज सहित देय होगा।



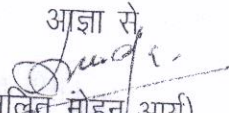
8. तीन वर्षों तक उत्पादन में न आने वाले उद्योग से नीति के अन्तर्गत अनुमन्य समस्त रियायतें वापिस ले ली जायेगी।
9. प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत अन्य छूटें एवं रियायतें निम्नवत् हैं:-
 - (i) **Scheme Period :-** आगामी 07 वर्ष यथा 31 मार्च, 2021 तक उत्पादन में आने वाली इकाईयाँ।
 - (ii) **State Capital Subsidy :-** केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिए वर्ष 2017 तक MSME Sector में 15 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 50.00 लाख तथा वृहद् उद्यम हेतु 15 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 30.00 लाख की छूट टैक्सटाइल उद्यमियों को दी जायेगी।
 - (iii) **Interest Subsidy :-** उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्पादन के उपरान्त आगामी 07 वर्षों तक टैक्सटाइल उद्यम पर 07 प्रतिशत तक की Interest Subsidy दी जायेगी।
 - (iv) **VAT Concession :-** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा टैक्सटाइल उद्यमियों को उत्पादन के उपरान्त आगामी 07 वर्षों तक कच्चे माल (Raw Material) पैकिंग मैटेरियल कय तथा तैयार माल विक्रय पर 100 प्रतिशत Vat की विशेष छूट दी जायेगी।
 - (v) **Power Assistance/ Power Bill Rebate :-** उत्तराखण्ड राज्य द्वारा टैक्सटाइल उद्यमियों हेतु उत्पादन आगामी 07 वर्षों हेतु अशोषित विद्युत कटौती एवं ₹ 1.00 प्रति यूनिट के दर से छूट दी जायेगी। इलैट्रिक ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट 07 वर्षों के लिए दी जायेगी।
 - (vi) **Rebate on Stamp Duty :-** उत्तराखण्ड राज्य द्वारा टैक्सटाइल उद्यम हेतु Land Purchase/Lease Deed सम्पादन करने पर 100 प्रतिशत Stamp Duty पर छूट दी जायेगी।
 - (vii) **Rebate on Mandi tax :-** उत्तराखण्ड राज्य द्वारा टैक्सटाइल उद्यम पर Mandi tax पर 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
 - (viii) **CST :-** उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उद्यमियों को तैयार माल विक्रय पर 100 प्रतिशत CST की छूट दी जायेगी।
10. उत्तराखण्ड राज्य में टैक्स की Levy के लिए GST या किसी भी अन्य तरह के कानून द्वारा प्रस्तावित किसी भी कर को उद्यम के एक ही आर्थिक लाभ को बनाये रखने के क्रम में समायोजित किया जायेगा।
11. उक्त नीति तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।


(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 79/ (1)/VII-1 / 40-सिडकुल / 2014, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. समस्त निजी सचिव, मंत्रीगण, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलायुक्त ढाढवाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ✓ 8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अनुभाग-2 एवं 7, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून को वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने हेतु।
12. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी को इस आशय की मेगा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी 2014 की 100 मुद्रित प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(लक्ष्मी मोहन आर्य)
संयुक्त सचिव।